

# मध्यप्रदेश विधान सभा



मार्च, 2009 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2009 (फाल्गुन 27, 1930)

समय 10.30 बजे दिन

## 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

- (1) क्रमांक एफ-ए-3-11-08-1 पांच (29), दिनांक 16 सितम्बर, 2008,
- (2) क्रमांक एफ-ए-3-69-07-1 पांच (31), दिनांक 27 सितम्बर, 2008,
- (3) क्रमांक एफ-ए-3-67-06-1 पांच (32), दिनांक 13 अक्टूबर, 2008; तथा
- (4) क्रमांक एफ-ए-3-18-08-1 पांच (33), दिनांक 18 दिसम्बर, 2008,

(ख) मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-43-01-पांच(30), दिनांक 25 सितम्बर, 2008,

(ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष का (राजस्व प्राप्तियां), पटल पर रखेंगे.

(2) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री -

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार ऑप्टेल टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006,

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007, तथा

(ग) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित का 45 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007, पटल पर रखेंगे.

(4) श्री अनूप मिश्रा, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 254 मप्र.विनिआ/ 2009, दिनांक 31 जनवरी, 2009 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का प्रथम वार्षिक लेखे एवं प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 पटल पर रखेंगे.

(7) श्री रामकृष्ण कुसमरिया, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 83 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का सप्तम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (दिनांक 31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष के लिये) पटल पर रखेंगे.

(8) श्री पारस जैन, राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2007-2008 पटल पर रखेंगे.

(9) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री वन, मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन ) अधिनियम, 1964 (क्रमांक 24 सन् 1964) की धारा 19 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-26-2-2002-दस-3, दिनांक 6 जनवरी, 2009 पटल पर रखेंगे.

(10) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री नर्मदा घाटी विकास, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवेलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2007-2008 पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य, टीकमगढ़ निवासी एक परिवार को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री एन.पी. प्रजापति, अभय मिश्रा, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में संचालित वाटर शोड कार्यक्रम में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री पारस सकलेचा, सदस्य, प्रदेश की मण्डियों में फल व सब्जी विक्रेताओं द्वारा कृषकों से मंडी शुल्क की अवैध वसूली किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य, भोपाल शहर में भूमिगत केबल लाईन हेतु की गई खुदाई के बाद सड़कों की मरम्मत न किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री लखन घनघोरिया, नारायण सिंह पट्टा, निशिथ पटेल, सदस्य, जबलपुर के रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना में पदस्थ अधिकारी द्वारा शासकीय दस्तावेजों में हेराफेरी किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री मनीराम धाकड़, सदस्य, जौरा क्षेत्र स्थित शक्कर कारखाने द्वारा गन्ने का भुगतान न किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, भोपाल के टी.टी.नगर क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, सिंगरौली सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा कृषकों को न दिये जाने की ओर राज्यमंत्री राजस्व का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, ग्वालियर चंबल संभाग अन्तर्गत अपर ककेटो बांध का निर्माण चयनित स्थान पर न किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री रत्नेश सॉलोमन, सदस्य, दमोह जिले के जबेरा एवं तेंदूखेड़ा विकास खण्डों के अनेक ग्रामों से विद्युत तारों की चोरी होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, खाचरौद क्षेत्र में केरोसिन की कालाबाजारी किये जाने की ओर राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, शिवपुरी जिले में डकैतों द्वारा वन कर्मचारी का अपहरण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में भांडेर नहर प्रणाली के अंतर्गत ग्रामों में नहर का पानी न छोड़े जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री धरमू सिंह, सदस्य, बैतूल जिला चिकित्सालय में उपयुक्त चिकित्सा के अभाव में अनेक रोगियों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री विश्वास सारंग, सदस्य, भोपाल स्थित विधि संस्थान में की गई नियुक्तियों में अनियमितता होने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री श्रीकांत दुवे, सदस्य, पन्ना जिला चिकित्सालय में एक्सपायरी डेट की दवाओं का वितरण किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के -

(क) ग्राम मडोरी, केशवगढ़ एवं लिलवारी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत सड़क निर्माण कराये जाने,

(ख) गोहद विकासखण्ड के ग्राम अजनार, सुन्दरपुरा, बड़ोखरी, घोरका एवं अमाहा में स्वीकृत मार्गों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराये जाने,

(ग) रौन तहसील के ग्राम गोंध के राम-जानकी मंदिर की भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने,

(घ) दबोह नगर के मुख्य मार्गों का निर्माण कराये जाने, तथा

(ङ) लहार नगर की मुख्य सड़कों का निर्माण कराये जाने,

(2) श्री पारस सकलेचा, सदस्य, रतलाम शहर के -

- (क) वार्ड नं. 20 लालजी के खेत में सरकारी ट्यूबवेल में लगी मोटर मरम्मत कराने एवं 3000 लीटर की टंकी रखाकर जल प्रदाय कराये जाने,
- (ख) वार्ड नं. 20 में पटेल की बाबड़ी में निकासी के पानी को निकालने हेतु नाली निर्माण कराये जाने,
- (ग) नगर निगम क्षेत्र में रतलाम से दिलीप नगर तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने एवं उस पर बिजली व्यवस्था किये जाने,
- (घ) नगर के वार्ड नं. 17 में पानी की समस्या हेतु पाईप लाईन बिछवा कर पानी प्रदाय किये जाने,
- (ङ) नगर के वार्ड नं. 17 में सड़क, नाली एवं पीने के पानी की समुचित व्यवस्था किये जाने,
- (च) नगर के वार्ड नं. 7 में शुभम श्री कालोनी में बनी पानी की टंकी से पानी प्रदाय किये जाने,
- (छ) नगर के वार्ड नं. 7, ब्लॉक नं. 19/7 में व पूरे मोहन नगर में कंक्रीट रोड बनाए जाने,
- (ज) नगर में अमृत सागर तालाब के निकट ग्राम मोतीनगर एवं ग्राम सागोद रोड का डामरीकरण किये जाने, तथा
- (झ) नगर के माणक चौक, भुट्टा बाजार, न्यू क्लाथ मार्केट में उचित स्थान पर सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराये जाने,

(3) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के -

- (क) खाचरोद तहसील के ग्राम श्रीवच्छ में हाई स्कूल खोले जाने,
- (ख) नागदा, खाचरोद एवं महिदपुर तहसील को मिलाकर नागदा को जिला बनाये जाने,
- (ग) विधान सभा क्षेत्र नागदा, खाचरोद के ग्राम छोटा चिरोला में हाई स्कूल खोले जाने,
- (घ) खाचरोद तहसील के ग्राम बुरानाबाद में हाई स्कूल खोले जाने,
- (ङ) तहसील नागदा में उर्दू हाई स्कूल खोले जाने,
- (च) खाचरोद तहसील के ग्राम बडागांव में कन्या हाई स्कूल खोले जाने, तथा
- (छ) खाचरोद तहसील के ग्राम निपानिया में हाई स्कूल खोले जाने, एवं

(4) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य, खण्डवा जिले के -

- (क) खण्डवा जिले के भूतपूर्व सैनिकों को भूखण्ड प्रदाय कर स्वामित्व प्रदाय किये जाने, तथा
- (ख) खण्डवा जिले के ग्राम जसवाड़ी से गांधव (व्हाया खिडगांव) तक पक्की सड़क निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

**निर्धारित**

**समय**

**30 मि.**

## **5. शासकीय विधि विषयक कार्य**

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 5 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

**2 घन्टे**

## **6. वर्ष 2009-2010 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा**

## **7. वर्ष 2009-2010 के लेखानुदान की मांगों पर मतदान**

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"दिनांक 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष 2009-2010 के एक भाग अर्थात् प्रथम चार माह तक की अवधि के प्राक्कलित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को राज्य की संचित निधि में से कुल तेरह हजार, एक सौ बत्तीस करोड़, चार लाख, चौरासी हजार रुपये की धनराशि जो पृथकतः वितरित लेखानुदान की मांगों के स्तंभ 6 में दी गई राशियों विनियोगों की अनुसूची के स्तंभ 2 में निर्दिष्ट सेवाओं से संबंधित मांगों के लिये सम्मिलित हैं, लेखानुदान के रूप में दी जावें".

## **8. शासकीय विधि विषयक कार्य**

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009 (क्रमांक 7 सन् 2009) का पुरःस्थापन \* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

\* लेखानुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरंत पश्चात्.

निर्धारित  
समय

### 9. वर्ष 2008-2009 की तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

2 घण्टे

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

" दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 34, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 51, 52, 55, 56, 64, 65, 66, 67, 75 तथा 80 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दस सौ पचहत्तर करोड़, सड़सठ लाख, सोलह हजार, छः सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

### 10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2009 (क्रमांक 6 सन् 2009) का \*पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :  
दिनांक : 17 मार्च, 2009

डॉ. ए.के. पयासी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

---

\* अनुपूरक अनुमान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.